

ESCAPE THE CROWDS...




Think of living where there is an endless supply of fresh air

Residential Plot Scheme 2009(1)

Price Rs. 500/-

YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY





YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY RESIDENTIAL PLOT SCHEME 2009(1)

Scheme Opens on

02.03.2009

Scheme closes on

04.05.2009

Tentative date of Draw

10.08.2009

TERMS AND CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF RESIDENTIAL PLOTS

1. DETAILS OF THE SCHEME AND LOCATION:

Applications are invited for allotment of residential plots to be developed along under construction Noida-to-Agra Yamuna Expressway. The proposed site / sector is about five minutes drive from the proposed Formula One Racetrack. The land on which the plots would be developed is under the process of acquisition.

2. DETAILS OF PLOTS:

SI. No.	Category of plots	Size of plots (in sq mt)	Total No. of plots*	No. of plots under general category **	No. of plots under Farmer's category	Registration amount
1	Α	4000	0100	0083	0017	5,00,000
2	В	2000	0250	0206	0044	3,00,000
3	С	1000	1000	0825	0175	2,50,000
4	D	0500	2000	1650	0350	2,00,000
5	E	0300	5000	4125	0875	1,00,000

^{*} N.B. The number of plots may be increased at the discretion of the Authority.

- ** N.B. (a) Out of the total available plots in every plot size under the general category, about 25% plots shall be reserved for persons opting for payment plan on installment basis (i). For details see Section 6.
 - b). Out of the total available plots in every plot size under the general category, remaining 75% plots shall be reserved for persons opting for payment plan on installment basis (ii). For details see Section 6.

3. PREMIUM OF PLOT:

The rate of the land of the residential plots under this scheme is Rs. 4,750 per sq. mtr.

4. PAYMENT METHOD:

All payments shall be made in favour of Yamuna Expressway Industrial Development Authority in the form of bank draft/pay order payable at New Delhi/ Noida /Greater Noida to the bank branches authorized by the Authority, list whereof is available on the last page of this Brochure. No payment in cash shall be acceptable.

5. ADJUSTMENT/REFUND OF REGISTRATION AMOUNT:

(i). In the case of successful applicants, the registration money shall be adjusted against the total payable premium of the plot.

- (ii). In the case of unsuccessful applicants, the registration money shall be refunded without any interest, if period of deposit of such registration money with the Authority is less than 3 months from the date of draw. In the event, the refund is made in excess of a period of 3 months from the date of draw, then such registration money shall be paid back alongwith simple interest @ 6% p.a. for such excess period. It is made clear that the interest on deposited amount will be calculated from 91st day of the date of the draw. In no case the period of deposit of this amount will exceed than 12 months.
- (iii). The applicants, in their own interest are requested to mention their Bank Account Numbers, Name and address of the Bank in the application form so as to facilitate the issuance of the refund cheques by the registering banks.

6. PAYMENT OPTIONS & EXTENSION OF TIME FOR MAKING PAYMENT:

A. PAYMENT OPTIONS:

The following options are available to the successful applicants / allottees for depositing balance amount of the land premium after adjustment of the registration amount:

Payment Plan-1:

In this option of payment, the successful applicant shall have to pay 50% of the total premium of the allotted plot (inclusive of registration money) within 60 days from the date of allotment and the balance 50% shall be payable in 16 half yearly installments (with 12% interest). Calculation of the date of installment shall be made from the 61st day from the date of allotment. In this option, the applicant shall be given a discount of 2% on the total premium of the plot. For this payment option, in General Category applicants, out of total available plots in every plot size category, 25% plots shall be reserved. In case, the number of applicants are less than the available plots in this payment option, confirmed allotment shall be made on priority basis. In case the number of applicants are more than the available plots in this option, allotment shall be made by draw of lots done manually among all applicants opting for this payment plan.

Payment Plan-2:

In this option of payment, the applicant shall have to pay 30% of the total premium of the allotted plot (inclusive of registration money) within 60 days from the date of allotment and balance 70% shall be payable in 16 half yearly installment (with 12% interest). Date of installment shall fall due form the 61st day from the date of allotment. For this option in the General Category, out of the total available plots in every plot size category, 75% plots shall be reserved. Amongst all applicants under this option, a manual draw of allotment shall be done out of plots available in this category which shall include plots which remain un-allotted under the first option .

B. EXTENSION OF TIME FOR MAKING PAYMENT:

All payments shall have to be made within the time specified and no extension in time for making payment shall ordinarily be granted. However, in extraordinary circumstances, time for making payment can be extended by the Chief Executive Officer or any other officer authorized by him in this behalf on his satisfaction. Such extension of time, if granted, shall be subject to payment of an interest @ 14% p.a. compounded half-yearly on the outstanding amount for such extended period as may be granted.



7 PERIOD OF LEASE AND LEASE RENT:

- (i). Allotment of plot to allottee shall be done on lease for a period of 90 years.
- (ii). The allotment of plot will be given to the allottee on a lease of 90 years and lease rent shall be payable in lumpsum at the rate of 10% of the total cost of the plot before possession.

8. AREA OF THE ALLOTTED PLOT:

In some cases, the area of plot allotted may slightly vary, (increase or decrease) at the time of handing over possession of the plot. In such cases, the premium of the plot will stand varied proportionately. If variation in area is less than or equal to 10%, then on such basis the allottee shall have no right to surrender the plot. However, if such variation is in excess of 10% of the area allotted, then it would be open to the allottee not to accept the allotment and exercise the option of surrender. In such cases of surrender, after deduction of a token amount of Rs. 10,000/- as a processing fee, the rest of the amount paid by the allottee shall be returned without any interest thereon.

9. ALLOTMENT, POSSESSION, CONSTRUCTION AND SUB-DIVISION:

- On the basis of availability of land, the number of plots available for allotment may be increased at the discretion of the Authority.
- (ii) In this scheme the allotment shall be done by manual draw. The tentative date of draw shall be 10th August, 2009. Any change in the date of actual draw shall be informed to the applicants by means of publication in daily newspaper and will also be available at the website of YEA.
- (iii) Allotment letters to the successful applicants shall be sent within 90 days from the date of draw.
- (iv) The possession of the allotted plot will be handed over only after deposition of 75% of the total premium (inclusive of the registration money) of the allotted plot in each case.
- (v) Allottees shall have to get construction done after getting building plan sanctioned and according to the construction policy/lease deed and building bye-laws of the Authority.
- (vi) The lessee/allottee shall not be entitled to divide the allotted plot or to amalgamate it with any other plot.

10. ELIGIBILITY TO APPLY:

A. General Category:

- (i). The applicant must be competent to contract and shall have attained the age of majority.
- (ii). All Indians/Non-Resident Indians who are neither in any way prohibited by the Government of India nor by U.P. Government under any specific rules to purchase any immovable property in U.P., shall be eligible to apply. Persons eligible as above can apply under any category only for one plot.
- (iii). No person shall be eligible to get allotment for more than one plot in this scheme.

B. Farmers Category:

- (i) Under this category 17.5% plots out of the total available plots are reserved for farmers of those villages of Distt. Gautam Budh Nagar whose lands fall under the notified area of Yamuna Expressway Industrial Development Authority and has been acquired or directly purchased by the Authority.
- (ii) It is essential for applying in this category that the Authority, must have taken possession of the land so acquired / purchased directly from such applicants before the opening date of this scheme.
- (iii) Under this reserved category, a person whose land is acquired or purchased by the Authority shall get allotment only once in his/her lifetime. Legal heirs of those farmers who have been once allotted the plot under this reserved category, shall not be entitled to apply under the reserved category in any future residential scheme of the authority.
- (iv) The eligibility of applicant shall vest in the legal heirs on the death of farmers whose lands have either been acquired or directly purchased by the Authority. With regard to eligibility of legal heirs the provisions of the U.P.Z.A.L.R. Act would apply. The succession certificate issued by a court of competent jurisdiction or by the District Magistrate or SDM alone and no other officer would be acceptable. In case of deceased farmer, all of his legal heirs can submit only one application jointly.
- (v) The farmers whose land area equal to or more than one acre has been acquired or purchased by the Authority may apply for any size of plot but the farmers whose land area less than one acre has been acquired or purchased by the Authority may apply only upto the size of one thousand meters plot under this scheme.
- (vi) No litigation in any court of law must be pending with the Authority by closing date of the scheme.
- (vii). No encroachment has been made by the applicant on the land acquired by the Authority irrespective of the acquired land against which the application for allotment has been made in this scheme.
- (viii). Every applicant under this category shall have to submit an affidavit in a prescribed format (Annexure -A) alongwith the application form.
- (ix) If under this category the applicants are less than the number of plots reserved, then the leftover plots shall be included in the draw for general category.

11. PROCEDURE TO APPLY:

- (i) The application form can be collected on payment of Rs. 500/- from any of bank branches listed in the last page of this booklet. For getting the application form by post, applicants have to send a demand draft of Rs. 600/- in favour of **Senior Manager**, **HDFC Bank Ltd.**, **C-1**, **Alpha Plaza**, **Alpha Commercial Belt**, **Greater Noida (U.P.)**. Apart from this, the application form can be downloaded from the website of the Authority, i.e. **www.yamunaexpresswayauthority.com**. While applying on a downloaded form, it is essential that the applicant attaches an additional demand draft of Rs. 500/- towards the cost of form to the Authority. Downloaded form from internet shall be deposited only in all those branches of **HDFC Bank Ltd.** which are mentioned in the list at the last page of this brochure.
- (ii) The application forms for Farmers Category can be purchased and submitted only at HDFC Bank Ltd., C-1, Alpha Plaza, Alpha Commercial Belt, Greater Noida (U.P.).
- (iii) The application form duly completed and signed along with the required registration money and all the required annexures shall be submitted to any of the bank branches listed on the page of this brochure on any working day during the period between the date of opening and the date of closure of this scheme.



(iv) If the application is incomplete in any respect whatsoever or if any column is left blank or if the photo is not pasted at the designated place or mentioning an incomplete or untrue address or the bank draft or pay order is not attached or no signature or thumb impression found on the declaration, the application shall not be considered at all.

12. WITHDRAWAL/SURRENDER:

- (i) In the case of withdrawal of the application before any allotment is made, then after deducting an amount of Rs. 5,000/- from the registration money, the balance shall be refunded without any interest thereon.
- (ii) In the case of surrender at any time after allotment but before the execution of lease deed, then after deducting an amount of Rs. 10,000/- out of deposited amount, the balance shall be refunded without any interest thereon.
- (iii) In the case of surrender at any time after the execution of lease deed then out of the deposited amount, an amount of Rs. 20,000/- as a processing fee and 10% of the total premium of the plot both shall be deducted, and the balance shall be refunded without any interest thereon.
- **Note 1.** Application for withdrawal of the application or surrender of the application shall be either sent by registered posts with acknowledgement due OR by personally at the reception office of the Authority against stamped receipt. The date of withdrawal / surrender shall be the date of which the application alongwith the required documents is actually received in the office of the Authority. No claim on the basis of postal certificate will be entertained.
- **Note 2.**: Alongwith the application for surrender the allottee shall have to attach the originals of the receipt of the registration form, allotment letter.
- **Note 3**. The signature of the applicant is a must on the application for withdrawl/surrender and a self-attested photograph should also be pasted on it.

13. CANCELLATION:

The Authority / Lessor shall be free to exercise its rights of cancellation of allotment/lease in the following cases:

- (i) Allotment / lease having been obtained through fraud, misrepresentation, mis-statement, or on account of suppression of material facts.
- (ii) Any violation of directions issued, or rules or regulations framed by the Authority or by any other statutory body.
- (iii) for breach, violation of the terms and conditions of registration / allotment / lease and/or non deposit of amount payable to the Authority as per the schedule prescribed in the letter of allotment / lease as the case may be, on the part of the applicant / allottee / lessee.
- (iv). In the event of cancellation, under sub-clause (i), (ii) and (iii), above, the entire deposits till the date of cancellation shall be forfeited and possession of the plot shall be resumed by the Authority / Lessor with structures thereon, if any, and the allottee / lessee will have no right to claim any compensation thereof. Without prejudice to the aforesaid, the Authority shall also have the liberty to initiate legal action against such allottee / lessee.
- (v). The amount forfeited under clause (iv) above shall not exceed the amount lying in deposit with the Authority. No separate notice in this regard shall be issued.

14. EXECUTION OF LEASE DEED:

- (i) The allottee shall be required to have the lease deed of the plot executed within such time as may be intimated by the Authority in this regard. The Chief Executive Officer, Yamuna Expressway Industrial Development Authority, can in exceptional circumstances grant extension for execution of the lease deed on such terms including payment of charges / penalty, as may be imposed while granting extension as per prevailing policy of the Authority prevailing on the date of grant of extension.
- (ii) Stamp charges, registration charges and all other expenses payable on the execution of the above document shall be borne by the allottee.
- (iii) Any lessee, with the previous written permission of the lessor or any officer authorized in that behalf, may mortgage the lease plot (i.e. after execution of the lease deed) for the purposes of procuring a loan from the any of bank / financial institution. In the event of grant of permission to mortgage the Authority shall have first charge over the mortgaged plot All other terms and condition on which mortgage is permitted shall be binding on the allottee.

15. TRANSFER OF PLOT:

(i) In favour of Legal Heirs:

Upon the death of the allottee / lessee transfer of plot to the allottee's / lessee legal heirs will be allowed with prior written permission of the Chief Executive Officer or any officer authorized by the CEO in this regard, subject to the fulfillment of prescribed conditions which are prevalent as on the date of grant of permission. No transfer charges are payable in case of transfer by succession.

ii) In favour of all others, except legal heirs:

No transfer of the allotted / leased plot to any person, other than legal heir of the allottee / lessee, shall be permissible except on a written request made by the allottee / lessee followed by prior written permission of the Chief Executive Officer or any officer authorized by the Chief Executive Officer. Such permission may be granted subject to payment of transfer charges AND compliance of such other terms and conditions which may be imposed Chief Executive Officer or any officer authorized by the CEO in accordance with the policy of the Authority existing on the date of grant of permission to transfer. The permission to transfer shall be effective only after deposit of the transfer charges as may be in force at that time and fulfillment of all other requirement as may be set out in the permission for transfer. The power to reject or accept such request for transfer by an allottee / lessee shall vest in the Chief Executive Officer or any officer authorized by him in this behalf.

16. LAND USE:

The allotted / leased plot shall be used only for residential purpose and for no other purpose whatsoever. The allottee shall not indulge / carry out any activity on or from the premises which may amount to change in land use or case or likely to cause pollution or nuisance. Use of plot for any non residential purpose like shop, office, clinic, nursing home, school, crèche etc would amount to breach of the terms and conditions for which the allotment / lease would be cancelled and the Authority would be free to seal / re-enter the demised premises. The lessee shall not display or exhibit any posters, statues and other articles which are indecent or immoral.



17. LIABILITY TO PAY TAXES

The allottee / lessee shall be liable to pay all charges, taxes, fee assessment of every description in respect of the allottee / leased plot / house as may be imposed by the lessor or any other competent Authority.

18. OTHER CLAUSES:

- (i). The Chief Executive Officer or any officer authorized by him in this regard reserves the right to make such additions/alterations or modifications in the terms and conditions of allotment from time to time as he/she may consider just or/and expedient and the same shall be binding on the allottee / lease.
- (ii). In case of any clarification on interpretation regarding these terms and conditions the decision of the Chief Executive Officer shall be final and binding on the applicant / allottee / lessee.
- (iii) The allotted land shall be under the rules and rights for the protection of underground assets.
- (iv) The allottee shall have to comply with the provisions of the UP Industrial Area Development Act, the Rules and Regulations and bye laws made thereunder or directions issued from time to time by the Authority or any officer authorized in this regard with respect to the maintenance of land, building and surrounding areas etc..
- (v) If due to any "force majeure" or any circumstances beyond the control of the Authority, the Authority is unable to make allotment or hand over the possession of the allotted plot, the entire deposit amount will be refunded along with simple interest at the rate of 4% per annum from the date of deposit till the date of payment. It is clarified that the month of deposit and the month of refund shall not be counted for the purposes of calculation of interest.
- (vi) Any dispute between the Authority/Lessor and allottee / lessee shall be subject to the territorial jurisdiction of the civil courts of Gautam Budh Nagar or the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.
- (vii) All dues payable to the Authority shall be recovered as arrears of land revenue.
- (viii). Mere deposit of registration amount would not constitute a right to allotment of a plot.
- (ix). In the event of any discrepancy between the Hindi and English version of this brochure, the English version shall be deemed to be final and binding on the applicant / allottee / lessee.

For General Category Applicants

Sr. No.	Name of Bank & Address
1.	HDFC Bank Ltd., C-1, Alpha Plaza, Alpha Commercial Belt, Greater Noida
2.	HDFC Bank Ltd., K-2, Som Dutt Towers, Sector-18, Noida
3.	HDFC Bank Ltd., M-39, Outer Circle, Connaught Place, New Delhi
1.	HDFC Bank Ltd., 5 R/2, Badshah Khan Chowk, N.I.T., Faridabad
5.	HDFC Bank Ltd., Vatika Atrium, A-Block, Golf Course Road, Sector-53, Gurgaon
6.	HDFC Bank Ltd., G 2-3, Windsor Park, 5 Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad
7.	HDFC Bank Ltd., Shop No. 3/4/11, Friends Plaza, Sanjay Place, Agra
8.	HDFC Bank Ltd., 3/316A, Near Devetory Hospital, Ramghat Road, Aligarh
9.	HDFC Bank Ltd., 169/2, Gaushala Road, Opp. BSA College, By Pass Road, Mathura
10.	HDFC Bank Ltd., 381, Western Kachery Road, Near R. G. College, Meerut
11.	HDFC Bank Ltd., H-57, Main Lajpat Nagar, Opp. Water Tank, Moradabad
12.	HDFC Bank Ltd., 38, Darbari Lal Sharma Marg, Pranay Towers, Lucknow
13.	HDFC Bank Ltd., 15/63, Krishna Tower, Civil Lines, Kanpur
14.	HDFC Bank Ltd., Krishna Place, 154, Civil Lines, Bareilly
15.	HDFC Bank Ltd., 460, DM Road, Bulandshahr
16.	HDFC Bank Ltd., Prahalad Rai Trade Centre, Ayodhaya Crossing Centre, Bank Road, Gorakhpu
17.	HDFC Bank Ltd., D-54, Siddi Vinayak Ashok Marg, C Scheme, Jaipur
18.	HDFC Bank Ltd., Vimla Tower, Agra Road, Firozabad
19.	HDFC Bank Ltd., Vishal Motors, Agra Aligarh Road, Mahamayanagar (Hathras)
20.	HDFC Bank Ltd., 8/6, Nainital Road, Bhotia Parao, Haldwani (Uttrakhand)
21.	HDFC Bank Ltd., SCO 147/148, Sector-17C, Chandigarh
22.	HDFC Bank Ltd., Kuber Complex, D-58/2, Rathyatra Crossing, Varanasi
23.	HDFC Bank Ltd., Plot No. 54/01, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad
24.	Union Bank of India, C-56A/28, Sector-62, Noida
25.	Union Bank of India, 14/15, F-Block, Connaught Place, New Delhi
26.	Union Bank of India, BQ-Block Market, Shalimar Bagh, New Delhi
27.	Union Bank of India, Palika Bhawan (Opp. Hyatt Regency), Moti Bagh, New Delhi
28.	Bank of India, C-6, 7 & 8, F-Block, Beta-2, Commercial Complex, Greater Noida
29.	Bank of India, PTI Building, 4 Parliament Street, New Delhi
30.	Bank of India, IDI Mall, 1st Floor, Lajpat Nagar-III, New Delhi
31.	Bank of India, 59, G.T. Road, Ghaziabad



32.	Bank of India, Rajpur Road, Ghantaghar, Dehradun
33.	Bank of India, 1, Naval kishore Road, Mohini Mansion, Lucknow
34.	Bank of India, 8/168, Jivani Mandi, Belanganj, Agra
35.	Bank of India, Roshan Ganj, Kotwali Road, Mathura
36.	Bank of India, Main Branch, Allahabad
37.	Axis Bank, G-4, Alpha Commercial Belt-1, Greater Noida
38.	Axis Bank, K-21 & 22, Sector-18, Noida
89.	Axis Bank, SCO-29, Sector-14, Near HUDA Office, Gurgaon
10.	Axis Bank, Plot No. 4, Aditya Corporate Plaza, Community Centre, Karkardooma, New Delhi
1.	Axis Bank, Kirpal Plaza, 4A/1, Tilak Nagar, Nazafgarh Road, New Delhi
2.	Axis Bank, Plot No. 2, Centre for Social Research BDG, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi
3.	Axis Bank, 18/179, The Mall Road, Opp. Phool Bagh, Kanpur
4.	Axis Bank, Hotel Crystal Palace, G-2/47 Civil Lines, Boundary Road, Meerut
5.	Axis Bank, 356, Ward No. 18, Opp. Hotel Raj Darbar, DM Colony Road, Civil Lines, Bulandshahr
6.	State Bank of India, Lagerstromia Shopping Complex, Greater Noida
7.	State Bank of India, Sector-15 Vasundara, Ghaziabad
8.	State Bank of India, Main Branch, Mathura
9.	Allahabad Bank, A-6, Sector-10, Noida
0.	Allahabad Bank, 5/4, Govind Bhawan, BK Hospital Road, NIT, Faridabad
1.	Allahabad Bank, Wright Ganj, Post Box No27, Ghaziabad
2.	Allahabad Bank, Meerut Development Authority, Meerut
3.	Allahabad Bank, Umrao Bhawan, Railway Road, Post Box No.32, Aligarh
4.	Allahabad Bank, Hazaratganj, Post Box No. 9, Lucknow
5.	Oriental Bank of Commerce, SH-12, Gamma Shopping Centre, Gamma-I, Greater Noida
6.	Oriental Bank of Commerce, A-135A, Sector-27, Noida
7.	ABN Amro Bank, Ocean Heights, K-4, Sector-18, Noida
8.	Bank of Baroda, First Floor, Shopping Centre, Gamma-II, Greater Noida
9.	Bank of Baroda, Mahatma Gandhi Marg Branch, Agra
0.	Bank of Baroda, Nehru Place, New Delhi
1.	Canara Bank, S-2, Gamma Shopping Mall, Sector-Gamma, Greater Noida
2.	Bank of Maharastra, B-3, Commercial Belt, Sector-Alpha, Greater Noida

For Farmers Category Applicants

1. HDFC Bank Ltd., C-1, Alpha Plaza, Alpha Commercial Belt, Greater Noida	1.	HDFC Bank Ltd., C-1, Alpha Plaza, Alpha Commercial Belt, Greater Noida	
---------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------	--

(शपथ-पत्र का प्रारूप) कृषक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन हेतु

समक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।

	Ť <u></u>	세	
	निवासी ग्राम	तहसील	जनपद
	उम्र वर्ष सशपथ बयान करत	। हुँ	
1)	यह कि मैं ग्रामतहसील	जनपद गौतमबुद्ध नगर की भूमि खसरा संख्या	
	क्षेत्रफल हे० में	अंश का स्वामी था,	
2)	यह कि मेरी उक्त भूमि में से	हे० भूमि/पूर्ण भाग प्राधिकरण द्वारा दिनांक	
	को अधिग्रहीत/सीधे क्रय किया जा चुका है,		
3)	यह कि मेरे द्वारा उक्त भूमि का प्रतिकर/प्रतिफल स्वेच्छा से	। बिना किसी आपत्ति के प्राप्त कर लिया गया है,	
4)	यह कि उक्त भूमि का कब्जा प्राधिकरण द्वारा दिनांक	से पूर्व प्राप्त कर लिया गया है, तथा	
5)	यह कि मेरा प्राधिकरण अथवा सहखातेदारों के साथ कोई वि	वेवाद किसी न्यायालय में लंबित नहीं है।	
	उक्त एक लगायत पाँच पैरा मेरी निजी जानकारी के अनुर	नार पूर्ण रूप से सत्य व सही है। किसी सूचना के असत्य	पाये जाने पर मेरे आवेदन को
	निरस्त किये जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।		

सत्यापनः भूलेख विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण के अभिलेखों/जानकारी के अनुसार सत्य पाया गया है।

प्रमाणितकर्ता

आवेदक/शपथकर्ता

तहसीलदार/अधिकृत अधिकारी



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आवासीय भूखण्ड योजना-2009(1)

योजना प्रारम्भ होने की तिथि : 02.03.2009

आवेदन की अंतिम तिथि : 04.05.2009

ड्रा की सम्भावित तिथि : 10.08.2009

आवासीय भूखण्डों के आवंटन हेतु नियम व शर्ते

1. योजना का विवरण व स्थानः

नौएडा से आगरा तक निर्माणाधीन यमुना एक्सप्रेसवे के संलग्न क्षेत्र में आवासीय भूखण्डों के आवेदन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। प्रस्तावित योजना का क्षेत्र, प्रस्तावित फार्मूला वन से 5 मिनट की दूरी पर स्थित सैक्टर में है। भूखण्डों को विकसित किये जाने वाली भूमि अर्जन प्रक्रिया के अधीन है।

2. भूखण्डों का विवरणः

क्रम संख्या	भूखण्डों की श्रेणी	भूखण्ड का आकार (वर्ग.मी. में)	कुल भूखण्डों की संख्या*	सामान्य श्रेणी के आवेदकों हेतु भूखण्डों की संख्या**	कृषक श्रेणी के आवेदकों हेतु भूखण्डों की संख्या	पंजीयन धनराशि (रू० में)
1	Α	4000	0100	0083	0017	5,00,000
2	В	2000	0250	0206	0044	3,00,000
3	С	1000	1000	0825	0175	2,50,000
4	D	0500	2000	1650	0350	2,00,000
5	E	0300	5000	4125	0875	1,00,000

* नोटः प्राधिकरण के विवेकानुसार भूखण्डों की संख्या में वृद्धि संभावित है।

- ** नोटः (क) सामान्य श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध प्रत्येक आकार के भूखण्डों में से लगभग 25 प्रतिशत भूखण्ड किश्तों के अर्न्तगत भुगतान योजना के प्रथम विकल्प को ग्रहण करने वाले आवेदकों हेतु आरक्षित किये गये हैं। विवरण प्रस्तर 6 में अंकित है।
 - (ख) सामान्य श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध प्रत्येक आकार के भूखण्डों में से लगभग 75 प्रतिशत भूखण्ड किश्तों में भुगतान के विकल्प (ii) को ग्रहण करने वाले आवेदकों हेतु आरक्षित किये गये हैं। विवरण प्रस्तर 6 में अंकित है।

3. भूखण्ड का प्रीमियमः

इस आवासीय योजना के भूखण्डों हेतु भूमि की दर रूपये 4750/- प्रति वर्गमीटर होगी।

4. भुगतान विधिः

समस्त **भुगतान यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण** के पक्ष में नई दिल्ली/नौएडा/ग्रेटर नौएडा पर देय बैंक ड्राफ्ट/पे—आर्डर के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा अधिकृत बैंक शाखाओं पर जिनकी सूची इस ब्रोशर के अन्तिम पृष्ठ पर अंकित है, पर प्राप्त कराये जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का नकद भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा।

5. भुगतान हेतु विकल्पः

- क. (i) सफल आवेदकों के प्रकरण में उक्त पंजीयन धनराशि भूखण्ड के कुल देय प्रीमियम में समायोजित कर ली जायेगी।
 - (ii) असफल आवेदकों के प्रकरणों में उक्त धनराशि **ड्रा** के दिनांक से प्राधिकरण के पास तीन माह से कम अवधि के लिए जमा रहने पर बिना किसी ब्याज के साथ तथा अतिरिक्त अवधि हेतु **ड्रा के दिनांक के 91वे दिवस से वापसी के दिनांक तक 6** प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के साथ आवेदक को वापस कर दी जायेगी। किसी भी प्रकरण मे वापसी की तिथि 12 माह से अधिक नहीं होगी।
 - (iii) आवेदकों से उनके हित में अनुरोध किया जाता है कि आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर वह अपने बैंक खाते की संख्या, बैंक का नाम व शाखा अंकित कर दें जिससे उनको भुगतान वापसी के चैक सुविधाजनक तरीके से निर्गत किये जा सकें।

6. भुगतान विकल्प व भुगतान हेतु समयवृद्धिः

(क.) भुगतान विकल्पः

भूखण्ड के प्रीमियम की पंजीयन धनराशि के समायोजन के उपरांत अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु सफल आवेदकों/आवंटियों हेतु निम्न विकल्प प्रदान किये जाते हैं।

भुगतान विकल्प-1:

इस विकल्प के अंतर्गत सफल आवेदक को भूखण्ड के कुल प्रीमियम की 50 प्रतिशत धनराशि में पंजीयन धनराशि के समायोजन के उपरान्त अवशेष धनराशि आवंटन के 60 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत 16 छमाही (12 प्रतिशत ब्याज के साथ) किश्तों में जमा करना होगा। किश्तों की गणना आवंटन तिथि के 61 वें दिन से की जायेगी। इस विकल्प के अन्तर्गत आवेदक को भूखण्ड के कुल प्रीमियम पर 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। इस भुगतान योजना हेतु प्रत्येक आकार के सामान्य श्रेणी हेतु नियत भूखण्डों में से 25 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित हैं। इस प्रकार आरक्षित भूखण्डों के उपरांत अवशेष भूखण्डों की कुल संख्या से कम आवेदकों की स्थिति में सुनिश्चित आवंटन किया जायेगा। उपरोक्त कुल भूखण्डों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर इस श्रेणी के अंतर्गत सभी आवेदकों के मध्य मैनुअल ड्रा द्वारा आवंटन किया जायेगा।

भुगतान विकल्प-2:

इस विकल्प के अंतर्गत सफल आवेदकों को आवंटन के 60 दिवस के अंदर आवंटित भूखण्ड के मूल्य की 30 प्रतिशत धनराशि में पंजीयन धनराशि के समायोजन के बाद अवशेष धनराशि जमा करनी होगी। शेष 70 प्रतिशत धनराशि 16 छमाही (12 प्रतिशत ब्याज के साथ) किश्तों में जमा करनी होगी। किश्तों की गणना आवंटन तिथि के 61 वें दिन से की जायेगी। इस भुगतान योजना हेतु प्रत्येक आकार के सामान्य श्रेणी हेतु नियत भूखण्डों में से 75 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित हैं। आरक्षित भूखण्डों व प्रथम विकल्प के अंतर्गत आवंटन से अवशेष भूखण्डों को सम्मिलित करते हुये इस श्रेणी के अंतर्गत सभी आवेदकों के मध्य मैनुअल ड्रा द्वारा आवंटन किया जायेगा।

(ख) भुगतान हेतु समय विस्तरणः

सभी देयों का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाना होगा एवं सामान्यतः भुगतान हेतु, समय विस्तरण प्रदान नहीं किया जायेगा। तथापि विशिष्ट परिस्थितियों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी YEA या उनके द्वारा इस प्रायोजन हेतु अधिकृत प्राधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर भुगतान हेतु, समय विस्तरण प्रदान किया जा सकेगा। उक्त समय विस्तरण की अवधि में देय धनराशि पर 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से छमाही चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा।



7. पट्टा अवधि एवं पट्टा किरायाः

- (i) भूखण्ड का आवंटन प्रत्येक आवंटी को 90 वर्ष के लिए पट्टाधिकार के साथ प्रदान किया जायेगा।
- (ii) भूखण्ड का आवंटन प्रत्येक आवंटी को 90 वर्ष के पट्टाधिकारी पर दिया जाएगा और पट्टा किराया कब्जा लेने से पूर्व भूखण्ड के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत एकमुश्त देय होगा।

8. आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफलः

कुछ प्रकरणों में आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल में कब्जा दिये जाते समय भिन्नता (वृद्धि या कमी) आ सकती है। ऐसी दशा में भूखण्ड का कुल मूल्य उसी अनुपात में परिवर्तित हो जायेगा। भूखण्ड के क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत अथवा उससे कम भिन्नता होने पर आवंटी को इस आधार पर समर्णण करने का अधिकार नहीं होगा। 10 प्रतिशत से अधिक भिन्नता होने की दशा में आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड स्वीकार न कर समर्पण करने की दशा में जमा की गई धनराशि में से प्रोसेसिंग फीस के रूप में 10,000.00 रुपये मात्र की कटौती करते हुए आवेदक द्वारा जमा शेष धनराशि बिना ब्याज वापस की जायेगी।

9. आवंटन, कब्जा, निर्माण व उपविभाजनः

- (i) भूमि की उपलब्धता के आधार पर भूखण्डों की संख्या में वृद्धि संभावित है।
- (ii) इस योजना के अंतर्गत आवंटन **मैनुअल ड्रा द्वारा** किया जायेगा। ड्रा की संभावित तिथि 10 अगस्त 2009 है। ड्रा के दिनांक की सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी तथा प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगी।
- (iii) सफल आवेदकों को उक्त ड्रा की तिथि से 90 दिवस की अवधि में आवंटन पत्र निर्गत किये जायेंगे।
- (iv) आवंटित भूखण्ड का कब्जा देय प्रीमियम की 75% धनरशि (पंजीकरण राशि सहित) जमा कराये जाने पर ही हस्तातंरित किया जायेगा।
- (v) आवंटी द्वारा उक्त आवासीय भवन का निर्माण प्राधिकरण के तत्संबंधी भवन निर्माण विनियमों / लीजडीड के अनुरूप तथा प्राधिकरण से विधिवत बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा।
- (vi) पट्टा धारक/आवंटी को आवंटित भूखण्ड के विभाजन अथवा अन्य किसी भूखण्ड के साथ सम्मिलन का अधिकार नहीं होगा।

10. आवेदन हेतु पात्रताः

(क) सामान्य श्रेणीः

- आवेदक वयस्क होना चाहिये तथा अनुबंध करने हेतु सक्षम होना चाहिये।
- (ii) समस्त भारतीय/प्रवासीय भारतीय नागरिक जो भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के किसी नियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अचल सम्पत्ति क्रय करने हेतु किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है, आवेदन हेतु पात्र होंगे। उपरोक्तानुसार पात्र व्यक्ति किसी भी श्रेणी के अंतर्गत एक ही भूखण्ड हेतु आवेदन कर सकता है।
- (iii) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र नहीं होगा।

(ख) कृषक श्रेणीः

- (i) इस श्रेणी के अंतर्गत योजना से आच्छादित कुल भूखण्डों में से 17.5 प्रतिशत भूखण्ड यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अधिसूचित जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रामों के उन कृषकों हेतु आरक्षित किये गये हैं जिनकी भूमि प्राधिकरण द्वारा विकास योजनाओं हेतु अर्जित अथवा सीधे क्रय की गई हो।
- (ii) इस श्रेणी में आवेदन हेतु यह अपरिहार्य है कि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित/क्रीत भूमि का कब्जा योजना के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व प्राप्त कर लिया हो।
- (iii) इस योजना के अंतर्गत कृषक को उसके जीवन काल में एक बार ही आवंटन किया जायेगा। ऐसे कृषक जिनको प्राधिकरण द्वारा इस श्रेणी के अंतर्गत एक बार भूखण्ड आवंटित कर दिया गया हो, वह कृषक या उसके उत्तराधिकारी भविष्य में प्राधिकरण की अन्य आवासीय योजना में इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (iv) ऐसे कृषक जिनकी भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत अथवा सीधे क्रय की गई हो, की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिसों के आवेदन की पात्रता हेतु जमींदारी विनाश अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे। इस संबंध में सक्षम प्राधिकार वाले न्यायालय, जिलाधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत, उत्तराधिकार प्रमाण—पत्र ही स्वीकार्य होंगे। किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
- (v) इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले ऐसे कृषक जिनकी एक एकड़ या उससे अधिक भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत/क्रीत की गई है, वे किसी भी आकार के भूखण्ड हेतु, आवेदन कर सकते हैं, किन्तु यदि किसी कृषक की एक एकड़ से कम भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत/क्रीत की गई है तो वह 1000 वर्गमीटर से अधिक आकार के भूखण्ड हेतु आवंटन के पात्र नहीं होंगे।
- (vi) इस श्रेणी के आवेदक व प्राधिकरण के मध्य योजना की अंतिम तिथि तक कोई वाद/विवाद विचाराधीन होने पर आवेदक आवंटन हेतु पात्र नहीं होगा।
- (vii) प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत/क्रीत भूमि पर अतिक्रमण करने वाले कृषक आवंटन के पात्र नहीं होंगे।
- (viii) इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदकों को निर्धारित प्रारूप पर एक शपथ-पत्र (संलग्न प्रारूप A) आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।
- (ix) इस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित किये गये भूखण्डों की संख्या के विरूद्ध कम पात्र आवेदन आने पर अवशेष भूखण्डों को सामान्य श्रेणी में नियत भूखण्डों में शामिल कर लिया जायेगा।

11. आवेदन प्रक्रियाः

- (i) आवेदन प्रपत्र इस विवरण पत्रिका के अंत में वर्णित किसी भी बैंक शाखा से 500 रु. मात्र के भुगतान के साथ प्राप्त किये जा सकते हैं। डाक द्वारा आवेदन प्रपत्र रु. 600 मात्र का बैंक ड्राफ्ट वरिष्ठ प्रबंधक, एच. डी. एफ. सी. बैंक लिंo, सी-1, अल्फा प्लाजा, अल्फा कॉमिशियल बेल्ट, ग्रेटर नौएडा को प्रेषित कर प्राप्त किये जा सकते है।। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की वेबसाईट www.yamunaexpresswayauthority.com से भी आवेदक प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र पर आवेदन किये जाने की दशा में रु. 500 का बैंक ड्राफ्ट ब्रोशर के मूल्य के लिए पृथक से संलग्न करना अनिवार्य है। इन्टरनेट से डाउनलोड किये गये आवेदन—पत्र मात्र एच.डी.एफ.सी. बैंक लिंo की उन्ही शाखाओं पर जमा कराये जा सकेंगे जो कि इस ब्रोशर के अन्त में बैंक शाखाओं की सूची में अंकित है।
- (ii) कृषक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदन पत्र एच. डी. एफ. सी. बैंक लि०, सी-1, अल्फा प्लाजा, अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नौएडा पर ही उपलब्ध होगें तथा मात्र वहीं पर जमा कराये जा सकेंगे।



- (iii) विधिवत भरे हुये व हस्ताक्षरित आवेदन प्रपत्रों को पंजीयन धनरिश के बैंक ड्राफ्ट तथा आवश्यक संलग्नकों के साथ उक्त वर्णित किसी भी बैंक शाखा में योजना अविध में किसी भी कार्यदिवस में जमा कराया जा सकता है।
- (iv) आवेदन पत्र में नियत स्थान पर फोटो चस्पा न करने, अपूर्ण/असत्य पता अंकित करने, उचित बैंक ड्राफ्ट/पे—आर्डर संलग्न न करने या आवेदन पत्र में घोषणा—पत्र पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित न करने पर प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. वापसी/समर्पण

- (i) आवंटन से पूर्ण समर्पण की स्थिति में जमा संपूर्ण पंजीयन राशि में से रु. 5000.00 मात्र की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज वापस की जायेगी।
- (ii) आवंटन के उपरांत व लीज डीड निष्पादन से पूर्ण समर्पण की स्थिति में प्रोसेसिंग फीस के रूप में 10,000.00 रु. की कटौती करते हुए शेष धनरशि बिना ब्याज वापस की जायेगी।
- (iii) लीज डीड निष्पादित होने के उपरांत समर्पण की स्थिति में प्रोसेसिंग फीस के रूप में 20,000.00 रु. तथा कुल प्रीमियम की 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती करते हुए आवेदक द्वारा जमा शेष धनराशि बिना ब्याज वापस की जायेगी।
- टिप्पणी 1. समर्पण/विदड्राल हेतु, आवेदन रिजस्टर्ड ए.डी. डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त करायी जानी होगी। व्यक्तिगत प्राप्ति रसीद पर प्राधिकरण कार्यालय की मुहर अनिवार्य होगी। आवेदन के कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि को ही विदड्राल/समर्पण आवेदन प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि माना जायेगा। केवल डाक प्रमाण पत्र के आधार पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- टिप्पणी 2. समर्पण/विदड्राल के आवेदन के साथ आवेदक को पंजीकरण फार्म की रसीद व आवंटन पत्र की मूल प्रति जमा करनी होगी।
- टिप्पणी 3. वापसी/समर्पण के आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर व स्वयं प्रमाणित फोटो चस्पा होना आवश्यक होगा।

13. निरस्तीकरणः

प्राधिकरण/पट्टादाता, अधोलिखित स्थितियों में पट्टा प्रलेख/आवंटन को निरस्त करने हेतु अपने अधिकारों का उपयोग करने में स्वतंत्र होगा –

- (i) गलत विवरण अथवा वस्तुपरक तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन प्राप्त करने पर।
- (ii) प्राधिकरण अथवा अन्य विधिक निकाय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्ते अथवा उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन करने पर।
- (iii) आवेदक/आवंटी/पट्टाधारक द्वारा पंजीकरण/आवंटन/पट्टे की नियम व शर्तों के तोड़ने/उल्लंघन करने और/अथवा आवंटन राशि जमा न करने पर।
- (iv) उपरोक्त के उक्त प्रस्तर के (i) (ii) व (iii) के अंतर्गत, निरस्तीकरण की दशा में निरस्तीकरण की तिथि तक जमा समस्त राशि जब्त की ली जायेगी और भूखण्ड मय ढाँचे के, यदि कोई है तो, प्राधिकरण/पट्टादाता द्वारा कब्जे में ले जी जायेगा, और आवंटी/पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति माँगने का कोई अधिकार नहीं होगा। प्राधिकरण ऐसे आवंटी/पट्टाधारक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु भी स्वतन्त्र होगा।
- (v) जब्त की गई धनराशि किसी भी दशा में प्राधिकरण में जमा करायी गई राशि से अधिक नहीं होगी। उक्त हेतु पृथक से कोई नोटिस प्राधिकरण द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा।

14. पट्टा विलेख का निष्पादनः

- (i) आवंटी को प्राधिकरण द्वारा सूचित की गई समयाविधि के अंतर्गत प्राधिकरण से अपने पक्ष में पट्टा विलेख/अनुबंध पत्र का निष्पादन कराना अनिवार्य होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुमोदनोपरांत समय विस्तरण प्रदान किया जा सकेगा। इस प्रकार प्रदान किये गये समय विस्तरण पर तत्समय प्रचलित नियमों के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क आवंटी को जमा कराना होगा।
- (ii) उक्त विलेख के निष्पादन हेतु देय स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क व अन्य सभी प्रकार के व्यय आवंटी द्वारा वहन किये जायेंगे।
- (iii) आवंटी उक्त निष्पादित पट्टा विलेख (लीज डीड) को प्राधिकरण के सक्षम आधिकारी की सहमति प्राप्त कर किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने हेतु बंधक रख सकेगा। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियम व शर्ते आवंटी को बाध्यकारी होगी।

15. भूखण्ड का हस्तांतरणः

(i) कानूनी उत्तराधिकारी:

आवंटी को अपने कानूनी उत्तराधिकारी को भूखण्ड हस्तांतरण करने की अनुमित मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्ते पूर्ण करने की दशा में प्रदान की जायेगी। उत्तराधिकार के प्रकरण में कोई भी हस्तांतरण शुल्क देय नहीं होगा।

(ii) कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्तः

कानूनी उत्तराधिकारी से भिन्न व्यक्ति को हस्तांतरण की अनुमित निर्धारित हस्तांतरण शुल्क जमा करने व शर्ते पूर्ण करने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/नामित अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी तथा आवंटी की ऐसी अभ्यर्थना को स्वीकृत या निरस्त करने का सर्वाधिकार उनमें सुरक्षित होगा। हस्तांतरण की अनुमित तत्समय प्रभावी, निर्धारित शुल्क जमा करने व अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर ही प्रभावी होगी।

16. भू-उपयोगः

आवंटित/पट्टागत भूखण्ड का उपयोग आवासीय प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में नहीं किया जायेगा। आवंटी आवंटित भूखण्ड पर किये गये निर्माण में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे भू—उपयोग परिवर्तित होता हो अथवा प्रदूषण या अन्य कोई न्यूसेंस उत्पन्न होता हो। भूखण्ड का अनावासीय उपयोग यथा दुकान, ऑफिस, क्लीनिक, निर्मिग होम, स्कूल, क्रैच आदि में करने को नियम व शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा आवंटन/लीज को निरस्त कर प्राधिकरण द्वारा ऐसे निर्माण को सील करने आदि की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। पट्टाधारक आवंटित भूखण्ड पर ऐसे कोई पोस्टर, मूर्तियां या अन्य कोई ऐसी सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा जो अशोभनीय या अनैतिक हो।

17. कर अदायगी की देयताः

आवंटी/पट्टाधारक पट्टादाता अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित/पट्टागत भूखण्ड के संबंध में आरोपित सभी प्रकार के चार्जेज, कर फीस आदि अदा करने हेतु उत्तरदायी होगा।



18. अन्य सामान्य नियमः

- (i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिकृत अधिकारी को आवंटन की नियम व शर्तों में आवश्यकता व औचित्य होने पर समय—समय पर नये प्रावधान जोड़ने अथवा पूर्व के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार होगा तथा यह संशोधन आवंटी/पट्टाधारक पर बाध्यकारी होंगे।
- (ii) इस ब्रोशर के नियम व शर्तों के संबंध में स्पष्टीकरण अथवा विवेचना के प्रकरणों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा आवेदक/आवंटी/पट्टाधारक पर बाध्यकारी होगा।
- (iii) आवंटित भूखण्ड भूगर्भ सपत्तियों के नियमाधीन होगा।
- (iv) आवंटी को भवन, भूखण्ड तथा सन्निकट क्षेत्र के अनुरक्षण के संबंध में समय—समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्गत निर्देशों तथा उ.प्र. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।
- (v) किसी देवीय आपदा अथवा प्राधिकरण के नियंत्रण के बाहर किसी भी परिस्थिति के फलस्वरूप आवंटन या कब्जा प्रदान करने में प्राधिकरण के असफल रहने से समस्त आवेदकों/आवंटीगण को उनके द्वारा जमा समस्त धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सिहत लौटा दी जायेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि जमा करने वाले माह व धनराशि वापसी के माह की गणना ब्याज के प्रयोजन हेतु नहीं की जायेगी।
- (vi) आवंटन आदि के संबंध में समस्त विवादों के विचारण का क्षेत्राधिकार जिला गौतमबुद्ध नगर में स्थित सिविल न्यायालय अथवा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का होगा।
- (vii) प्राधिकरण को देय सभी धनरशि भू—राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।
- (viii) पंजीयन धनराशि जमा करने मात्र से ही किसी भी आवेदक को भूखण्ड के आवंटन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जायेगा।
- (ix) ब्रोशर के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख के मध्य कोई भिन्नता पाये जाने पर अंग्रेजी आलेख अंतिम व मान्य होगा।

सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए

क्र.स.	बैंकों के नाम एवं <mark>पता</mark>
1.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि०, सी–1, अल्फा प्लाजा, अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नौएडा
2.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि॰, के-2, सोमदत्त टॉवर्स, सेक्टर-18, नौएडा
3.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि॰, एम–39, आउटर सर्किल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली
4.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि॰, 5 आर/2, बादशाह खान चौक, एन.आई.टी., फरीदाबाद
5.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लिo, वाटिका एट्रीयम, ए-ब्लॉक, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-53, गुड़गांव
6.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लिo, जी-2-3, विंडसर पार्क, 5, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाज़ियाबाद
7.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि०, शॉप न० 3/4/11, फ्रेन्डस प्लॉजा, संजय प्लेस, आगरा
8	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि॰, 3/316 ए, निकट देवेत्री हॉस्पिटल, रामघाट रोड़, अलीगढ़
9.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि॰, 169/2, गौशाला रोड़, बी.एस.ए. कॉलेज के सामने, बाईपास रोड़, मथुरा
10.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि०, 38 1, वेस्टर्न कचहरी रोड़, निकट आर.जी. कॉलेज, मेरठ
11.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि०, एच–57, मेन लाजपत नगर, वॉटर टैंक के सामने, मुरादाबाद
12.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि०, 38, दरबारी लाल शर्मा मार्ग, प्रणय टॉवर्स, लखनऊ
13.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि॰, 15/63, कृष्णा टॉवर, सिविल लाईन्स, कानपुर
14.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि०, कृष्णा प्लेस, 154, सिविल लाईन्स, बरेली
15.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि०, 460, डी.एम. रोड़, बुलन्दशहर
16.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि०, प्रहलाद राय ट्रेड सेन्टर, अयोध्या क्रॉसिंग सेन्टर, बैंक रोड़, गोरखपुर
17.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि॰, डी-54, सिद्धी विनायक अशोक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर
18.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि०, विमला टॉवर, आगरा रोड़, फिरोज़ाबाद
19.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि०, विशाल मोटर्स, आगरा अलीगढ़ रोड, महामाया नगर, (हाथरस)
20.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि॰ , 8/6, नैनीताल रोड़, भूटिया पड़ाव, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
21.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि॰ , एस. सी. ओ. 147/148, सैक्टर-17सी, चण्डीगढ़
22.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि॰, कुबेर कॉम्पलेक्स, डी-58/2, रथयात्रा क्रॉसिंग, वाराणसी
23.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि॰, प्लॉट नं॰ 54/01, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाईन, इलाहाबाद
24	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सी-56ए/28, सेक्टर-62, नौएडा
25.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, 14/15, एफ ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली
26.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बी.क्यू ब्लॉक मार्केट, शालीमार बाग, नई दिल्ली
27.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, पालिका भवन (हयात रिजेन्सी के सामने), मोती बाग, नई दिल्ली
28.	बैंक ऑफ इण्डिया, सी-6,7 एवं 8, एफ ब्लॉक, बीटा-2, कॉमर्शियल कॅम्पलेक्स, ग्रेटर नौएडा
29.	वैंक ऑफ इण्डिया, पी.टी.आई. बिल्डिंग, 4 पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली
30.	वैंक ऑफ इण्डिया, आई.डी.आई. मॉल, प्रथम तल, लाजपत नगर—III, नई दिल्ली
31.	बैंक ऑफ इण्डिया, 59, जी.टी. रोड़, गाज़ियाबाद
32.	बैंक ऑफ इण्डिया, राजपुर रोड़, घंटाघर, देहरादून
33.	बैंक ऑफ इण्डिया, 1 , नवल किशोर रोड़, मोहिनी मेन्शन, लखनऊ



34	बैंक ऑफ इण्डिया, 8/168, जीवनी मण्डी, बेलनगंज, आगरा
35.	बैंक ऑफ इण्डिया, रोशन गंज, कोतवाली रोड़, मथुरा
36.	बैंक ऑफ इण्डिया, मैन ब्रान्च, इलाहाबाद
37.	एक्सिस बैंक, जी-4, अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट-1, ग्रेटर नौएडा
38.	एक्सिस बैंक, के-21 एवं 22, सेक्टर-18, नौएडा
39.	एक्सिस बैंक, एस.सी.ओ.–29, सेक्टर–14, निकट हुडा ऑफिस, गुड़गांव
40.	एक्सिस बैंक, प्लॉट न4, आदित्या कॉर्पोरेट प्लाजा, कम्यूनिटी सेन्टर, कड़कड़डूमा, नई दिल्ली
41.	एक्सिस बैंक, किरपाल प्लाजा, 4ए/1, तिलक नगर, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली
42.	एक्सिस बैंक, प्लॉट न2, सेन्टर फोर सोशल रिसर्च बिल्डिंग, नेलसन मन्डेला रोड़, वसन्त कुंज, नई दिल्ली
43.	एक्सिस बैंक, 18/179, द मॉल रोड़, फूल बाग के सामने, कानपुर
44.	एक्सिस बैंक, होटल कृस्टल पैलेस, जी-2/47, सिविल लाईन्स, बॉउन्ड्री रोड़, मेरठ
45.	एक्सिस बैंक, 356, वार्ड न. 18, होटल राजदरबार के सामने, डी.एम. कॉलोनी रोड़, सिविल लाईन्स, बुलन्दशहर
46.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, लेजर्सट्रोएमिया शॉपिंग कॅम्पलेक्स, ग्रेटर नौएडा
47.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सेक्टर–15, वसुन्धरा, गाज़ियाबाद
48.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मैन ब्रान्च, मथुरा
49.	इलाहाबाद बैंक, ए-6, सेक्टर-10, नौएडा
50.	इलाहाबाद बैंक, 5/4, गोविन्द भवन, बी.के. हॉस्पिटल रोड़, एन.आई.टी., फरीदाबाद
51.	इलाहाबाद बैंक, राईट गंज, पोस्ट बॉक्स न. 27, गाज़ियाबाद
52.	इलाहाबाद बैंक, मेरठ डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी, मेरठ
53.	इलाहाबाद बैंक, उमराव भवन, रेलवे रोड़, पी.ओ. बॉक्स न. 32, अलीगढ़
54.	इलाहाबाद बैंक, हजरत गंज, पोस्ट बॉक्स न. 9, लखनऊ
55.	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, एस.एच-12, गामा शॉपिंग सेन्टर, गामा-1, ग्रेटर नौएडा
56.	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, ए–135ए, सेक्टर–27, नौएडा
57.	ए.बी.एन. ऐम्रो बैंक, ओशियन हाईट्स, के–4, सेक्टर–18, नौएडा
58.	बैंक ऑफ बड़ौदा, फर्स्ट फ्लोर, शॉपिंग सेन्टर, गामा—II, ग्रेटर नौएडा
59.	बेंक ऑफ बड़ौदा, महात्मा गाँधी मार्ग शाखा, आगरा
60.	बैंक ऑफ बड़ौदा, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली
61.	केनरा बैंक, एस-2, गामा शॉपिंग मॉल, सेक्टर-गामा, ग्रेटर नौएडा
62.	बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, बी–3, कॉमर्शियल बेल्ट, सेक्टर–अल्फा, ग्रेटर नौएडा

कृषक श्रेणी के आवेदकों के लिए

1. एच.डी.एफ.सी. बैंद	लि॰ , सी–1, अल्फा प्लाजा, अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नौएडा

Annexure-A परिशिष्ट-A

(शपथ-पत्र का प्रारूप) कृषक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन हेतु

समक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।

	में पुत्र श्री जनपद
	मैंजनपदजनपदजनपदजनपदजनपदजनपदजनपदजनपदजनपदजनपदजनपदजनपद
	निवासी ग्रामतहसालतहसाल
	उम्
1)	यह कि मैं ग्राम तहसील जनपद गौतमबुद्ध नगर की भूमि खसरा संख्या
1)	के गारून अश का स्वामा था,
2)	यह कि मेरी उक्त भूमि में सेहे० भूमि/पूर्ण भाग प्राधिकरण द्वारा दिनांक
	को अधिप्रहीत/सीधे क्रय किया जा चुका है,
3)	यह कि मेरे द्वारा उक्त भूमि का प्रतिकर/प्रतिफल स्वेच्छा से बिना किसी आपित के प्राप्त कर लिया गया है,
4)	यह कि उक्त भूमि का कब्जा प्राधिकरण द्वारा दिनांक से पूर्व प्राप्त कर लिया गया है, तथा
5)	सन कि मेरा माधिकरण अथवा सहखातेदारों के साथ कोई विवाद किसी न्यायालय में लंबित नहीं है।
	उक्त एक लगायत पाँच पैरा मेरी निजी जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य व सही है। किसी सूचना के असत्य पाये जाने पर मेरे आवेदन व
	निरस्त किये जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

आवेदक/शपथव

सत्यापनः भूलेख विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण के अभिलेखों/जानकारी के अनुसार सत्य पाया गया है।

प्रमाणित

तहसीलदार/अधिकृत अधि

